



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 1073/12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 14/6 /2021,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय

जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूल गढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगॉव तक विस्तार कार्य(लम्बाई-6.825 कि० मी०) के वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव का प्रेषण FP/UK/ROAD/49512/2020

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी का पत्रांक-1089/12-1, दिनांक-28-11-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूल गढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगॉव तक विस्तार कार्य(लम्बाई-6.825 कि० मी०) के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल प्रति सहित 3 प्रतियों में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
के.जे.
(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या - / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि -प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्तावक संख्या—FP/UK/ROAD/49512/2020

प्रस्ताव का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूल गढ़ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगाँव तक विस्तार कार्य(लम्बाई—6.825 कि० मी०) के वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव का :-

1. स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है नही
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नही) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी हाँ
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संस्तुति की जाती है।
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि...14.01.2021.....
स्थान—मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर

(डॉ धीरज पाण्डेय)
वनसंरक्षक,
भागीरथी वृत्त

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि.....
स्थान—मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर: